संख्या- 125 /2020 / 915 /चार-2020-59 (बजट)/ 2018

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 10 सितम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में संत कबीर अकादमी की स्थापना आदि कार्यो हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण इकाई-अयोध्या के पत्र संख्या-319/डी-41/22 दिनांक 05 जून, 2020 एवं उक्त विषयक जिलाधिकारी, सन्त कबीर नगर के पत्र संख्या- 101 दिनांक 29 जून, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संत कबीर अकादमी की स्थापना आदि कार्यो हेतु शासनादेश संख्या-87/2018/1533/चार-2018-59(बजट)/2018 दिनांक 13 जून, 2018 द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 2359.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू0 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है तथा इसके उपरान्त शासनादेश संख्या-92/2019/697/चार-2019-59(बजट)/2018 दिनांक 26 मार्च, 2019 द्वारा रू0 500.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-150/2019/2607/चार-2019-59(बजट)/2018 दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा रू0 500.00 लाख अर्थात कुल रू0 1250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। तद्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, शासनादेश दिनांक 07.04.2020, 11.04.2020 एवं शासनादेश दिनांक 18.05.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणित प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
3. निदेशक, संस्कृति यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
6. प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, संस्कृति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति का होगा।
7. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जाएगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. शासनादेश संख्या- 87/2018/1533/चार-2018-59(बजट)/2018 दिनांक 13 जून, 2018, शासनादेश संख्या- 92/2019/697/चार-2019-59(बजट)/2018 दिनांक 26 मार्च, 2019 तथा शासनादेश संख्या- 150/2019/2607/चार-2019-59(बजट)/2018 दिनांक 22 नवम्बर, 2019 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।
9. कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जाएगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।
10. उपर्युक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक- 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -44-संत कबीर अकादमी की स्थापना 24-वृहत निर्माण कार्य में उपलब्ध धनराशि से वहन की जाएगी।
11. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई- 7- 818 /दस-2020 दिनांक 17 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या- 125 /2020/ 915 (1) /चार-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद , नीलिगिरी काम्पलेक्स इन्दिरानगर लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in